

(भारत के राजपत्र के भाग-11, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनाथ)

13

सं. के-20014/3/2001-डीडी2ए  
भारत सरकार  
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय  
शहरी विकास विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली.  
दिनांक: 20.11.2001.

अधिसूचना


सा.का.नि. सं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के नियम 2 (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वसूल करने योग्य पूर्व-निर्धारित दरें इस प्रकार अधिसूचित करती है :-

भूमि की श्रेणी

नरेला के लिए 2000-2001 में प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें

- |  |  |
|--|--|
| 1. कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए भूमि                                   | 3201.00 रूपये  |
| 2. वैकल्पिक भूखण्ड   | 2850.00 रूपये<br>(इसमें आन्तरिक विकास की लागत और उपयोग तथा दखल प्रभार शामिल है)  |
| 3. डी.डी.ए. आवासीय स्कीम:<br>एस.एफ.एस<br>एम.आई.जी.<br>एल.आई.जी.<br>ई.डब्ल्यू.एस. | 3201.00 रूपये<br>2668.00 रूपये<br>1601.00 रूपये<br>1067.00 रूपये<br>(प्लॉटों की बिक्री लागत निकालते समय आन्तरिक विकास की लागत भी जोड़ी जायेगी) |
| 4. झुग्गी-झोंपड़ी और अनधिवासी  | 16.00 लाख रूपये प्रति एकड़<br>(आन्तरिक विकास की लागत को छोड़कर जो दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा की जायेगी)                              |

ये दरें वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए प्रभावी हैं।

  
(निशा सिंह)  
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
नई दिल्ली.